

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

✓ सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र० इलाहाबाद।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-04

लखनऊ, दिनांक: / 4 सितम्बर, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू०पी०टी०ई०टी०) के आयोजन हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या-गोप०/टी०ई०टी-18/9677-80/2018-19 दिनांक 13.09.2018 तथा पत्र संख्या-गोप०/टी०ई०टी-18/9673-76/2018-19 दिनांक 13.09.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू०पी०टी०ई०टी०) आयोजित किये जाने हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-सारणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू०पी०टी०ई०टी०) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1742/15-11-2014-2750/2012 दिनांक 24.12.2014 को अतिक्रमित करते हुए आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न कर निर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू०पी०टी०ई०टी०)-2018 दिनांक 04.11.2018 (रविवार) को सम्पन्न होगी तथा परीक्षाफल दिनांक 20.11.2018 को घोषित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

-2-

- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/साक्षरता एवं प्रौढ शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- समस्त प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- शिक्षा अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।